

HISTORY OF ENGLAND (1815-1939 AD)

Section 'A'

(खण्ड - अ)

1.

(i) 1815 (ii) 1830 (iii) 1812 (iv) 04 (v) ब्रजील (vi) 1832 (vii) तीन
(viii) 04 (ix) वाल्डविन (x) चेम्बरलेन |

Section 'B'

(खण्ड - ब)

2. नेपोलियन के युद्धों द्वारा इंग्लैंड के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या जिनमें यूरोप में इंग्लैंड की उन्नति, राज्यविस्तार, आर्थिक व सामाजिक कष्टों का कुल क्षांति, जनसंख्या में वृद्धि, बेकारी की समस्या, युद्ध के दुष्परिणाम व्यय की अधिकता, धन का विषमतापूर्ण वितरण फसलों का नष्ट होना व खानाज का नून अजसूर वर्गों को राजनीतिक अधिकार से वंचित, अनाधिकार का दोषपूर्ण नियम और कानूनों का अनुचित वितरण देश में विभिन्न घटनाएँ जिनमें - स्पाफील्ड्स की घटना, बैन्चेस्टर हत्याकांड आदि तथा उपद्रवों को दमन करने के लिए सरकार के नए कानून आदि |

3. कैसलरे व कैनिंग दोनों ने इंग्लैंड की विदेशनीति को प्रभावित किया और राजनीतिक मामले में दोनों ही यंगरपिटर के शिष्य व दोनों ही प्रधानमंत्री लीवरपुल की सहायता में कार्य किया | इन दोनों की विदेशनीति में पर्याप्त अंतर था | कैनिंग राष्ट्रीय नीति का समर्थक था परन्तु कैसलरे यूरोपीय व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांत का समर्थक था, कैनिंग ने जितना प्रयास ही नीति अपनायी वह केवल इंग्लैंड के हित के लिए ही था, लेकिन कैसलरे ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को लागू करना | जहाँ तक छोटे देशों के प्रति इंग्लैंड के रुख का प्रश्न है दोनों एक

दूसरे के विशेषी विचार रखते हैं, केंनिंग ने टर्की की शक्ति की अत्यधिक परवाह नहीं की परन्तु कैसलरे इंग्लैंड व यूरोप में रूस के सम्भावित शास्त्रमणों से रक्षा हेतु टर्की को एक दाल के रूप में देखना चाहता था। जहाँ तक तुलना का प्रश्न है केंनिंग कैसलरे की क्षेपण अपनी विदेश नीति में क्विथल तुलना है।

4. विलियम चतुर्थ के काल में लाभकारी सुधार जिनमें - निर्वाचन सम्बन्धी सुधार, दास प्रथा विशेषी कानून, 1833 ई. का कारखाना अधिनियम, 1835 का स्थानीय निकाय अधिनियम, 1832 का शिक्षा अधिनियम, 1834 का गरीब कानून सुधार, प्रिवी कौंसिल व जुडिशियल कमेटी की स्थापना आदि।

5. लॉरेट और फियरगस को कोनर के नेतृत्व में गठन, उनकी छः भांगे धान्नेलन का परिणाम और बहव में - जनता के कल्याण की कमी कालांतर में चार्जिस्टों की भांगों को स्वीकार किया जाना, साहित्य व राजनीतिक दर्शन पर प्रभाव तथा कृत में उल्लेख बहव।

6. 1885 के सुधार अधिनियम द्वारा स्त्रीयों के पुनर्वितरण की व्यवस्था की गई जो पहले वितरण खमान व उचित रूप से नहीं हुआ था उन खमस्त बरोजों को, जिनकी आबादी 15 हजार से कम थी कोई भी प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं था। 15 हजार से 50 हजार आबादी वाले बरोज को एक-एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। जिस बरोज की आबादी 50 हजार से अधिक और एक लाख या एक हजार से कम थी उन्हें दो-दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला। इस अधिनियम द्वारा एक चुनाव क्षेत्र

M. S. A.

केवल एक ही सदस्य के चुनाव की व्यवस्था की गई। स्काटलैंड को 12 और इंग्लैंड को केवल 6 अतिरिक्त सीटें प्रदान की गईं। इस अधिनियम द्वारा कामन्स 6 भाग में 12 अतिरिक्त सदस्य रखे गये, जमल बालिंग पुरुषों को वताधिकार प्राप्त हो गया।

7. ग्लैंडस्टन का परिचय, आन्तरिक दुधार जिनमें - शिक्षा सम्बन्धी सुधार, सेना सम्बन्धी दुधार, न्याय सम्बन्धी दुधार, बीलेट ऐक्ट सरकारी सेवा सम्बन्धी अधिनियम, यूनिवर्सिटी टेस्ट ऐक्ट, लाइसेंसिंग ऐक्ट, ट्रेडयूनियन ऐक्ट, डायरिश चर्च सम्बन्धी नियम, तृतीय दुधार बिल 1884, उमिक सम्बन्धी कानून, बरियल ऐक्ट, 1882 का विवाहित स्त्री जायदाद कानून, 1833 का सत्रीकुलचरल होल्डिङ्स ऐक्ट, तथा 1894 का पेरिस कौंसिल ऐक्ट।

8. ग्लैंडस्टोन व डिजरायली की चरित्र व नीतियों की तुलना में - दोनों के कुल व शिक्षा, चरित्र, धर्म व दोनों के प्रति रानी का रवैया, विदेश नीति की तुलना में - यूरोप के विभिन्न देशों के प्रति नीति, पूर्वी समस्या के प्रति नीति, डायरलैंड के प्रति नीति, नौधावादियों के प्रति इनकी नीति। ग्रहनीति की तुलना - अपने दलों के प्रति इनका रवैया, घरेलू दुधारों के प्रति इनका रवैया धारि।

—x—

डॉ० बलेश शुक्ल
सहा. प्राध्यापक (इतिहास)
गु. घा. वि. वि. बिलासपुर